भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *244

जिसका उत्तर 05 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

कुसमुंडा क्षेत्र में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा भूमि अर्जन

***244. श्री अमरा राम:**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) द्वारा कुसमुंडा क्षेत्र विशेषकर जरहाजेल गांव में अर्जित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है और भूमि अर्जन कब-कब किया गया है;

(ख) 27 अप्रैल, 1983 को अधिनिर्णय संख्या 02/ए67/82-83 के अंतर्गत अर्जित की गई भूमि का ब्यौरा क्या है और उक्त भूमि का अर्जन किस नीति के अंतर्गत किया गया था;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के कटघोरा के उप-मंडल अधिकारी (एसडीएम) द्वारा दिनांक 26.07.1985 के पत्र संख्या/ए.वी.ए./भू-अर्जन/85/830 के माध्यम से जरहाजेल में 25.80 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अर्जन किया गया था और यदि हां, तो भूमि अर्जन संबंधी अधिनिर्णय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 1986 में प्रभावित भू-स्वामियों को कोई मुआवजा दिया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 1983 और 1985 में उपर्युक्त भूमि अर्जन के बदले कितने लोगों को रोजगार दिया गया है और कितने लोग अभी भी रोजगार से वंचित हैं;

(च) उक्त गांव में खसरा संख्या 107/21, 124/1, 125/1 में 31 डिसमिल भूमि के अर्जन संबंधी दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) गांव की संपूर्ण भूमि का अर्जन होने के बावजूद जरहाजेल गांव के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (छ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

"कुसमुंडा क्षेत्र में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा भूमि अर्जन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अमरा राम द्वारा दिनांक 05.08.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *244 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरणः

(क): राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (एनसीडीसी), तत्पश्चात् वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) द्वारा कुसमुंडा क्षेत्र के जरहाजेल गांव में अधिगृहीत की गई और इसके बाद साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) को विरासत में मिली भूमि का ब्यौरा भूमि अधिग्रहण की समय-सीमा के ब्यौरे के साथ निम्नानुसार है -

क्र.सं.	**अधिग्रहण संबंधी अधिनियम**	**अधिग्रहण की तिथि**	**क्षेत्रफल (एकड़ में)**
1	मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (एमपीएलआरसी), 1959	1962-63 (एनसीडीसी)	10.39
2	कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957	11.06.1964 (एनसीडीसी)	55.45 (बारपली गावं की भूमि सहित)
3	सीबीए अधिनियम, 1957	03.07.1978 (डब्ल्यूसीएल)	185.96
4	एमपीएलआरसी, 1959	27.04.1983 (डब्ल्यूसीएल)	132.49
5	एमपीएलआरसी, 1959	27.04.1983 (डब्ल्यूसीएल)	25.80
	कुल		**410.09**

(ख): मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत दिनांक 27.04.1983 के अधिनिर्णय संख्या 02/ए67/82-83 के तहत अधिग्रहित भूमि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**गांव का नाम**	**क्षेत्रफल एकड़ में**
1	बारपाली	3.07
2	बारामपुर	30.30
3	जरहाजेल	158.29
4	खम्हारिया	245.68
	कुल	**437.34**

(ग) और (घ): एसडीओ, कटघोरा ने दिनांक 26-07-1985 के पत्र संख्या/ए.वी.ए./भू-अर्जन/85/830 के माध्यम से डब्ल्यूसीएल को उपर्युक्त 25.80 एकड़ भूमि का मुआवजा पत्रक

भेजा था। उपर्युक्त भूमि के मुआवजे का भुगतान वर्ष 1985 में एसडीओ, कटघोरा को भूस्वामियों को वितरित करने के लिए किया गया था।

(ङ): एसईसीएल ने 209 ग्रामवासियों को रोजगार प्रदान किया था। इसके बाद, ग्रामवासियों के निरंतर अनुरोध के कारण वर्ष 2022 में वन-टाइम विंडो खोली गई थी। जांच के बाद, इस भूमि के लिए 03 और लोगो को रोजगार हेतु पात्र पाया गया।

(च): तत्कालीन एनसीडीसी द्वारा अधिग्रहित प्लॉटों का विवरण निम्नानुसार है:

प्लॉट सं.	**पत्रक-13 के अनुसार एमपीएलआरसी के तहत वर्ष 1962-63 में अधिग्रहित क्षेत्र (एकड़ में)**	**विवरण-VI के अनुसार सीबीए अधिनियम, सां. आ. संख्या 2126 दिनांक 11.06.1964 के तहत अधिग्रहित क्षेत्र (एकड़ में)**	**कुल अधिग्रहित भूमि (एकड़ में)**
107/1	0.10	10.00	10.10
124	0.22	0.20	0.42
125	0.03	0.29	0.32

(छ): जरहाजेल गांव की भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1960 से 1983 के बीच किया गया था। अधिग्रहण के संगत समय पर लागू प्रावधानों, नियमों और दिशानिर्देशों के तहत स्वीकार्य लाभ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान किए गए है।

****